कार्यालय कलेक्टर एंव पदेन अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन , राजस्व विभाग जिला – जबलपुर

धारा –11 की अधिसूचना

क्रमांक 981..../भू अर्जन/प्र.क....6./अ–82/2015–16 जबलपुर दिनांक 18/11/16

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एव पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधो के द्वारा अनुसूची के खाने (5)में उल्लेंखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

इलेक्ट्रिक रेल्वे ट्रेक्शन हेतु 132 के.व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर विघुत प्रदाय करने हेतु ग्राम किसरोद तहसील शहपुरा जिला जबलपुर की निजी भूमि में स्थापित 131 के.बी.उपकेन्द्र मे एक अतिरिक्त 132 के.व्ही.वे.के निर्माण हेतु उपकेन्द्र से सटी हुई है उक्त निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्षेत्रफल अर्जित रकवा हे.	धारा (12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	शहपुरा	किसरोद	0.16	भू अर्जन अधिकारी पाटन	इलेक्ट्रिक रेल्वे ट्रेक्शन हेतु 132 के.व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर विघुत प्रदाय करने हेतु उपकेन्द्र के विस्तारीकरण हेतु भूमि का अर्जन

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur .nic.in एंव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एंव भू अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में एंव कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग दो मध्य प्रदेश पावंर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

भू-अर्जन अधिकारी
पाटन

(महेश चंद्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एंव पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग